

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/12 जा 2

जयपुर, दिनांक : 01.8.2012

:- आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सामने अंकित राजकीय आवास नियमानुसार किराये पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	वरियता संख्या
1.	श्रीमती प्रिती शर्मा कनिष्ठ विपणन अधिकारी कृषि विपणन विभाग, जयपुर	4/128 गॉधीनगर	31.3.22042	99/09
2.	श्री महेश चन्द गुप्ता निजी सहायक मुख्य वन संरक्षक तेंदु पत्ता, जयपुर	4/82 गॉधीनगर	30.6.2020	103/09
3.	श्री गोपाल लाल मीणा कार्यालय सहायक निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर	4/115 गॉधीनगर	31.5.2023	105/09
4.	श्री श्रीराम सैनी संगणक आयोजना (ग्रुप-4) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/28 गॉधीनगर	31.3.2025	122/09
5.	श्री श्याम लाल मीणा वरिष्ठ लिपिक गृह (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/139 गॉधीनगर	31.7.2034	148/09

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की सम्पत्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटि के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटि अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

Oic(4Feb.)
A
3-812

8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।


राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक सम्पदा/कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग।
5. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
6. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
7. मुख्यलेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय।
6. कोषाधिकारी, जयपुर शहर जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
9. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गॉधीनगर, जयपुर।
10. सहायक अभियन्ता,सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर,, जयपुर।
11. सम्बन्धित कर्मचारीगण को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का कब्जा लेकर यदि पूर्व में राजकीय आवास आवंटित है तो उसे 15 दिवस में रिक्त करें।
12. अनुभागाधिकारी, कार्मिक(ग) विभाग को किराया कटौती हेतु।
13. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
14. रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव